हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक (प्रवाह की एक इकाई जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के बराबर है) अधिशेष जल छोड़ने की अनुमति दे दी तथा हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि **वह हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली में इस जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करे, ताकि पेयजल संकट का समाधान हो सके।**

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) को हरियाणा के **हथिनी कुंड** में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लिये कहा।
- राष्ट्रीय राजधानी में **जल की कमी के बीच दिल्ली सरकार** ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से **तत्काल अतिरिक्त जल प्राप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।**
- अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दिल्ली के नागरिकों द्वारा झेली जा रही गंभीर जल कमी के कारण याचिका दायर करने के लिये बाध्य है, जो **उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में जारी भीषण गरमी के कारण उत्पन्न हुई है।**

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, **नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय,** भारत सरकार के अधीन **एक अधीनस्थ कार्यालय है।**
- **दिनांक 12 मई, 1994 को बेसिन राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों** द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोज्य सतही प्रवाह के बँटवारे के **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किये गए
  - MoU में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (**UYRB**) नामक एक बोर्ड के निर्माण का प्रावधान है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-directs-haryana-to-facilitate-flow-of-surplus-water